बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि १ मई, १९६१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि १ मई १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री ीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय विधान-सभा के अष्टम्-सत्र (नवम्बर, दिसम्बर, १९६०) के ६६० अनागत तारांकित प्रश्नों में से १०७ प्रश्नों के उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय की विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह	४६, ८८०, १०१४, १२५७, १६७४।
२	श्री ललन प्रसाद सिंह	६२।
३	श्री रामानन्द तिवारी श्री देवेन्द्र झा श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	१८०।
४	श्री राम नारायण मंडल	२२४।
५	श्री चेतु राम	२२७, ४७३।
६	श्री जॉन मुंजनी	२२९।
७	श्री राम जयपाल सिंह यादव	२३०, ९९७, १००९।
८	श्री उपेन्द्र नारायण सिंह	२३३।
९	श्री प्रियव्रत नारायण सिंह	२३६।
१०	श्री राम अशीश सिंह	२३७, ८६७।
११	श्री नन्द किशोर सिंह	२३९, १०००, १००१।
१२	श्री जय नारायण झा "विनीत"	३२१, ८७८, १२९३, १६५८।
१३	श्री कार्यानन्द शर्मा	३२२।

अध्यक्ष—अगर २२ आदमियों के बुलाने के बजाय एक ही आदमी वहां चला गया होता तो इन्क्वायरी हो गयी होती।

श्री अब्दुल गफूर—ठीक है। वे खुद जाकर इन्क्वायरी कर रिपोर्ट दें। यह हिदायत की जायगी।

श्री रामचन्द्र सिंह को मदद।

१९४८। श्री राम अशीश सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिलान्तर्गत दिनारा थाना के सरसा ग्राम के एक गरीब रामचन्द्र सिंह का घर १७ सितम्बर, १९५९ की रात में आग लगकर भस्म हो गया जिसमें उनका तीन पशु एवं सारा सामान जल गया ;

(२) क्या यह बात सही है कि उन्होंने मदद के लिए दिनांक ३० सितम्बर, १९५९ को एक दर्खास्त सर्किल ऑफिसर, सूर्यपुरा के पास तथा दूसरी दर्खास्त दिनांक ६ अक्तूबर, १९५९ को सासाराम अनुमंडलाधिकारी के पास दिया था ;

(३) क्या यह बात सही है कि उन्होंने मदद मिलने में विलम्ब देखकर २ जनवरी, १९६० को राजस्व विभाग में तथा १ अप्रील, १९६० को पुनः सर्किल ऑफिसर को रजिस्ट्री द्वारा दर्खास्त दी ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उस गरीब को मदद देने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है तथा कबतक रकम मिल जायगी ?

श्री अब्दुल गफूर—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) आवेदक ने केवल एक दरखास्त अंचलाधिकारी, विक्रमगंज को दिनांक १६ अक्टूबर १९५९ को दी थी जिसे उन्होंने अंचलाधिकारी, सूर्यपूरा को २२ अक्टूबर १९५९ को भेज दी थी।

(३) राजस्व विभाग में दर्खास्त देने की बात स्वीकारात्मक है तथा उसे समाहर्त्ता के यहां आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा भी गया था। सर्किल आफिसर, सूर्यपूरा के यहां दूसरी दर्खास्त नहीं प्राप्त हुई थी।

(४) आवेदक को २० अप्रील १९६१ को २५ रु० दिया जा चुका है।

श्री राम अशीश सिंह—जब उनके तीन पशु एवं सारे सामान जल गये हैं और सिर्फ २५ रु० दिया गया है जो बहुत ही कम है तो क्या सरकार उसको कुछ और रुपया देने का विचार करती है ?

श्री अब्दुल गफूर—अगर उनको बहुत ज्यादा क्षति हुई है तो वे नेचुरल कालामिटीज लोन के लिए दर्खास्त दें और सरकार उसपर विचार करेगी।